16/3/22

पत्रावली पेश हुई। वादी/वकील वादी न्यायालय के अनुपस्थित। प्रथम आदम हाजरी/अन्य पैरवी खारिज किया जा चुका है अब इस प्र. पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। अतः प्र. पत्र रद्दी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शीघ्र दफ्तर हो।